न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

अपील संख्या 05/2017 (2017/00005)/प्रतापगढ़ पंजीयन दिनांक 27–06–2017

1. श्रीमती मुन्नीबाई पुत्री वरदा पत्नी गिरधारी लाल सांसरी मीणा निवासी थहोड तहसील व जिला मन्दसौर हाल मुकाम रामप्रद बरखेडा तहसील प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़
2. श्रीमती नानी बाई बेवा बरदा सांसरी मीणा निवासी रामप्रद बरखेडा तहसील प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़

..... अपीलान्ट्स

बनाम

श्रीमती कारीबाई पिता वदरा सांसरी मीणा निवासी रामप्रद बरखेडा तहसील प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :

श्री पी.सी. पालीवाल : अधिवक्ता अपीलान्ट

श्री कल्पिक जैन : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956 विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 04/2015 निर्णय एवं आदेश दिनांक 26–2–2016

निर्णय

दिनांकः– 23.01.2019

अपीलार्थी द्वारा विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 76 के तहत यह अपील न्यायालय तहसीलदार, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 4/2015 निर्णय दिनांक 26–02–2016 से असंतुष्ट होकर अन्दर मयाद प्रस्तुत की है।

अपील के तथ्य इस प्रकार है– अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा पारित निर्णय बाबत् नामान्तरकरण संख्या 415 न्याय, नियम एवं वाक्याती तथ्यों के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। मूल पुरूष स्वर्गीय वरदा जिसके अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेट वैध वारिसान है की दिनांक 8–5–2012 को स्वर्गवास हो गया जिसका ग्राम पंचायत रंठाजना के नाम नामान्तरकरण संख्या 415 उसके वैध वारिसान के नाम स्वीकृत किया जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट ने पंजीकृत वसीयत के आधार पर प्रथम अपील क्रमांक 7/2013 प्रस्तुत की जो दिनांक 26–6–2014 को लोक अदालत केम्प रंठाजना पर नियत की जिस पर अपीलान्ट नम्बर 1 केम्प कोर्ट में उपस्थित हुए जिसके उपस्थिति के रूप में हस्ताक्षर करवाये गये जिसमें पक्षकारान ने किसी प्रकार का लिखित या मौखिक राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना राजीनामा के नामान्तरकरण तहीसलदार प्रतापगढ़ को प्रतिप्रेषित कर दिया, उसी आदेश पर तहसीलदार, प्रतापगढ़ ने कार्यवाही कर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नामान्तरकरण संख्या 415 को निरस्त कर विवादित कृषि आराजीयात वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज किये जाने का आदेश अवैधानिक रूप से पारित किया गया। ग्राम पंचायत रंठाजना ने मौके एवं मृतक वरदा के वैध वारिसान की पूर्ण जांच कर नामान्तरकरण संख्या 415 स्वीकृत किया गया। उसी पर तहसीलदार, प्रतापगढ़ ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब करने पर सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात वरदा की होना व वरदा की मृत्यु के पश्चात् अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संयुक्त रूप से काबिज होना अंकित किया है व यह तथ्य भी अंकित किये कि विवादित कृषि आराजीयात का विरासतीय नामान्तरकरण स्वीकृत होने के पश्चात् पक्षकारान ने अलग–अलग बैंक से लोन प्राप्त किया जिससे भूमि बैंक के रहन दर्ज रेकार्ड है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, प्रतापगढ़ ने रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निष्पादित वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज किये जाने का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया। विवादित कृषि आराजीयात का विरासतीय नामान्तरकरण अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के नाम स्वीकृत होकर अपीलान्ट ने अपने हक हिस्से की आराजीयात के बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया जिसमें रेस्पोडेन्ट ने जवाबदावा भी प्रस्तुत किया है जिसके साथ रेस्पोडेन्ट वसीयत के आधार पर काउन्टर क्लेम पेश कर अपने हक अधिकारों की घोषणा करवा सकती थी फिर भी वादपत्र के विचाराधीन रहते अपील का निस्तारण करवा वसीयत के आधार पर सम्पूर्ण आराजीयात अपने नाम दर्ज करवाया जाने का निर्णय एवं आदेश प्राप्त कर लिया जो अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। तहसीलदार प्रतापगढ़ ने दोनो पक्षों की सुनवाई कर नामान्तरकरण संख्या 415 को निरस्त किये जाने के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ़ का निर्णय एवं आदेश दिनांक 26–2–2016 को होकर अपील अपीलान्ट अन्दर मयाद 60 दिन में प्रस्तुत की गई है जिसमें तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 26–2–2016 निरस्त की जाकर नामान्तरकरण संख्या 415 दिनांक 19.2.2013 यथावत रखाये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। अधिवक्ता अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसमें रेस्पोडेन्ट कारी बाई ने वरदा जी सांसरी निवासी रामप्रद बरखेडा तहसील व जिला प्रतापगड़ ने उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़ में अपील संख्या 7/13 में नामान्तरकरण संख्या 398 के संबंध में एक अपील प्रस्तुत की जिसमें उसने उसके पक्ष में नामान्तरकरण कराया जाने का अनुतोष याचित किया। अपील संबंधी औपचारिकताओं के उपरांत अपीलान्ट उपस्थित नहीं आई तथा राजस्व रिपोर्ट तलबी के उपरांत बयानों को दर्ज किया गया व वसीयत प्रस्तुत की गई। साक्ष्य के उपरांत वादग्रस्त सम्पत्ति मृतक श्री वरदा जी की स्व–अर्जित होना पुष्ट हुआ तथा तकनकीयात प्रार्थी के पक्ष में तय की गई व नामांतरण विधि अनुसार प्रत्यर्थी के नाम दर्ज करने का आदेश दिनांक 26.2.2016 को सुनाया गया। उक्त निण्रय के विरूद्ध प्रत्यर्थी ने यह अपील प्रस्तुत की है जिसके संबंध में लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलार्थी सर्वथा आधारहिन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, अपीलार्थी का कथन कि किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ और बिना राजीनामा के नामांतरण की कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य हो धारण किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह तहसीलदार द्वारा रिकार्ड की गई साक्ष्य के अवलोकन के उपरांत पारित किया है तहसीलदार अथवा उपखण्ड अधिकारी किसी ने भी अपने निर्णय में राजीनामे का तथ्य अंकित नहीं किया है किन्तु इस प्रकार का अपील मे अवलम्ब लेना धारण किये जाने योगय नहीं है व अपील खारिज किये जाने योगय है। अपीलानंट ने अपील में यह कथन किया है कि रजिस्टर्ड वसीयत व वैध

वारिसान की कोई जांच नहीं की गई है तो इस संबंध में यह स्पष्ट है कि रजिस्टर्ड वीयतनामे को कही पर भी सम्यक न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है तथा इस आधार पर अपीलार्थी को कोई आधार प्राप्त नहीं होते है व अपील निरस्त किये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़ ने अपना जो निर्णय पारित किया है वह पूर्णतया दस्तावेजी साक्ष्य पर निर्भर है। अधीनसि न्यायालय में जो साक्ष्य रिकार्ड की गई उसमें वादग्रस्त भूमि श्री वरदा जी की स्वअर्जित होना आया है तााि इस प्रकार श्री वरदाजी को इस संबंध में वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में इस संबंध में सम्यक अंकन किया है कि जमाबन्दी में वरदाजी का नाम आसामी के रूप में दर्ज है व उक्त भूमि माफी चकराना दर्ज है। न्यायिक दृष्टांतों के अनुरूप माफिक चकराना भूमि स्व–अर्जित सम्पत्ति मानी जाती है तथा इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा उठाए गए एतराज धारण किये जाने योग्य नहीं है। यह एक स्वीकृति स्थिति है कि अपीलार्थी ने उक्त वसीयत के फर्जी होने अथवा दबाव एव्र प्रभाव में निष्पादित होने के संबंध में कोई कार्यवाही किसी सम्यक न्यायालय अथवा प्राधिकारी के समक्ष नहीं की गई है न ही इस वसीयत को किसी सम्यक मंच या न्यायालय के समक्ष चुनौती ही दी है एवं इस प्रकार अपीलार्थी को एतराज उठाने का कोई अधिकार नहीं रहा है। अपील में उठाए गए आक्षेप निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थी ने अपनी अपील मेमो मे किसी भी प्रकार यह अंकित नहीं किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय पारित करने मे किस प्रकार त्रुटि की है एवं किस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिक विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों से परे है। जहां तक बैंक लोन का प्रश्न है तो अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बैंक लोन के संबंध में यह स्पष्ट अंकित किया है कि उक्त रहन बदस्तुर रहन वसीयत की गई भूमि पर जारी रहेगा। इस प्रकार इस नामांतरण से अपीलार्थी के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा साि ही वसीयत के अलावा बची हुई भूमि वरदाजी के वारिसान को बराबर–बराबर नामान्तरित किए जाने का भी आदेश पारित किया है जो कि विधि सम्मत है तथा अपील आधारहीन होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अपील में अन्य कोई आधार इन बिन्दुओं के अतिरिक्त अपील की सुनवाई हेतु ग्रहण योग्य नहीं है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़ का निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत है तथा विधि एवं न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में विधिपूर्ण रूप से पारित किया गया है तथा इसमें हस्तक्षेप की कोई गुजांईश नहीं है। जहां तक किसी विचाराधीन वाद का प्रशन है तो ऐसे किसी वाद के संख्यांक व वर्णन अपील में नहीं किया है तथा उक्त आधार अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हो सकते है। अपीलार्थी स्वंय द्वारा छोडे गए किसी त्रुटिकारक तथ्य का दोष न्यायालय पर नहीं डाल सकता है तथा अपील निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थी ने अपीम मे यह दोषारोपण अधीनस्थ न्यायालय पर किया है कि बिना राजीनामे के प्रकरण रिमांड कर दिया गया जबकि अपीलार्थी स्वंय अपनी उपस्थिति न्यायालय केम्प में होना स्वीकार करता है, जबकि उक्त प्रकरण जो कि अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित था, रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश किया गया था न कि अपीलार्थी द्वारा। इसके खारिज होने के संबंध में अपीलार्थी को कोई आधार प्राप्त नहीं होते है क्योंकि उक्त प्रकरण से अपीलार्थी के कोई हित प्रीाावित नहीं हुए है तथा इसके पश्चात् गुणावगुण पर निर्णय न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। अपीलार्थी ने कहीं पर भी यह अंकन नहीं किया है कि उक्त नामांतरण का जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया है वह किस प्रकार विधि एवं तथ्यों के अनुसरण में पारित नहीं किया गया है प्रत्यर्थी द्वारा जो दृष्टांत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए है वह किसी प्रकार हस्तगत प्रकरण मे लागू नहीं होते है इसका भी उल्लेख नहीं किया है एवं इस प्रकार अपील खारिज किए जाने योग्य हैं। प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण निरस्त फरमाई जाने तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पुष्टि किये जाना लिखित बहस में अंकित किया है।

उपस्थित अधिवक्ता अपीलान्ट की मौखिक बहस सुनी गई। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों का दोहराव करते हुए स्व. वरदा की मृत्यु के उपरान्त उसी पत्नी नानी एवं 2 पुत्रीया कारी एवं मुन्नी के नाम नामान्तरण खुला एवं अपने हिस्से पर काबिज है। इसी के आधार पर बैंक से लोन लिया। वरदा की मृत्यु के उपरांत वसीयत पंचायत को पेश नहीं की, गवाह भी तहसीलदार के समक्ष पेश नहीं किये। वसीयत को रेस्पोडेन्ट सक्षम न्यायालय में ही चुनौती दे सकते है। अतः तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 26–2–2016 निरस्त की जाकर नामान्तरकरण संख्या 415 दिनांक 19.2.2013 यथावत रखाये जाने हेतु निवेदन किया है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के समर्थन में नजीरे 1– RBJ(11) 2004 पेज 520 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रकरण संख्या अपील/एल.आर./74/2000/गंगानगर उनवानी जीतसिंह बनाम मु. प्यारकौर में पारित निर्णय दिनांक 28.7.2001 । द्वितीय नजीर RRT 2003(2) पेज 870 उच्च न्यायालय के एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 1033 से 1036 वर्ष 2011 निर्णय दिनांक 12.1.2003 तथा तीसरी नजीर RBJ 2016 पेज 41 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रकरण संख्या अपील डिक्री 6363/08/टी.ए./बारां उनवानी धन्नालाल बनाम मोहित कुमार में पारित निर्णय दिनांक 28.7.2004 प्रस्तुत की गई। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा पूर्व में प्रस्तुत लिखित बहस का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि पंजीकृत दस्तोवज को पुनः सत्यापन की जरूरत नहीं है। वसीयत प्राप्तकर्ता को खातेदारी अधिकार वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद स्वतः ही उत्पन्न हो जाते है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो जाते है। वसीयत को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार का निर्णय दिनांक 26.6.2016 किसी भी रूप से गलत नहीं है। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में नजीर RRD Feb., 2004 पेज 60 दूधा बनाम काजोड एवं अन्य प्रस्तुत की गई।

अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत हुए न्यायिक निर्णयों का ससम्मान पठन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, प्रतापगढ़ के पारित निर्णय दिनांक 26.2.2016 में अंकित किया गया है कि वादग्रस्त आराजीयात वरदा जी की स्वअर्जित सम्पत्ति है, उनके द्वारा श्रीमति कारीबाई के पक्ष में जो पंजीकृत वसीयत की गई है वह विश्वसनीय होने से वसीयत में दर्ज की गई आराजीयात की खातेदार घोषित होने की अधिकारी है। जहां तक श्रीमति मुन्नीबाई व श्रीमति नानीबाई के आराजीयात पर कब्जे का प्रश्न है श्रीमति कारीबाई नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाते हुवें ही अपने कब्जें में रही भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करें तथा ताकत के बल पर श्रीमति कारीबाई अपनी माता श्रीमति नानीबाई व बहन श्रीमति मुन्नीबाई के कब्जे में दखल नहीं करें। विवेचनानुसार पटवारी हल्का रठांजना को आदेशित किया गया कि मौजा बरखेडा के नामान्तरकरण संख्या 398 दिनांक 6.8.2012 व नामान्तरकरण संख्या 415 दिनांक 19.2.2013 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़ के अपील प्रकरण संख्या 7/2013 में दिनांक 26.6.2015 को निर्णय पारित किया जाकर खारिज किया गया है। मौजा (ग्राम) बरखेडा के वसीयत की गई पुरानी खाता संख्या 150 व वर्तमान खाता संख्या 29 के अनुसार आराजी नम्बर 589 रकबा 0.07 हैक्टर, आराजी नम्बर 595 रकबा 0.16 हैक्टर, आराजी नम्बर 596 रकबा 1.62 हैक्टेर, चाह आराजी नम्बर 599 रकबा 0.04 हेक्टर, चाह आराजी नं. 600 रकबा 0.15 हैक्टेर, आराजी नम्बर 601 रकबा 1.16 हैक्टर, आराजी नं. 603 रकबा 0.58 हैक्टर में से 0.26 हैक्टर पूर्व दिशा की, आराजी नं. 604 रकबा 0.42 हैक्टर, आराजी नं. 605 रकबा 0.11 हैक्टर, आराजी नं. 606 रकबा 0.06 हैक्टर एवं आराजी नं. 630 रकबा 0.14 हैक्टर कुल किता 12 कुल रकबा 4.29

हैक्टर कृषि भूमि का श्रीमति कारीबाई पिता वरदा जी सांसरी मीणा निवासी रामप्रद बरखेडा तहसील जिला प्रतापगढ़ के नाम पर राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। तथा पटवारी हल्का रठांजना को यह भी आदेशित किया जाता है कि उक्त खाते पर जो बैंकों का रहन है। वह वसीयत की गई आराजीयात पर रहन बदस्तुर दर्ज रहेगा। जहां तक श्रीमति मुन्नीबाई व श्रीमति नानीबाई के आराजीयात पर कब्जे का प्रश्न है कारीबाई नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाते हुवे ही अपने कब्जे में रही भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करें ताकि ताकत के बल पर श्रीमति कारीबाई अपनी माता श्रीमति नानीबाई व बहन श्रीमति मुन्नीबाई के कब्जे मे दखल नहीं करें। तथा वसीयत की गई भूमि के अलावा शेष बची 0.42 हैक्टर भूमि का नियमानुसार उत्तराधिकारियों के हक में बराबर–बराबर नामान्तरकरण दर्ज किया जावे, का निर्णय दिनांक 26.2.2016 को पारित किया।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील, अभिभाषक अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा दस्तावेजों तथा प्रस्तुत नजीरों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात वरदाजी की स्वअर्जित सम्पत्ति है एवं उनके द्वारा रेस्पोडेन्ट श्रीमति कारीबाई के पक्ष में जो पंजीकृत वसीयत की गई है, के आधार पर खातेदार घोषित होने के अधिकारी होने से इनके नाम पर राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण खोलने का तहसीलदार प्रतापगढ़ का निर्णय उचित प्रतीत होती है। साथ ही उक्त खाते पर जो बैंको का रहन है वह वसीयत की गई आराजीयात पर रहन बदस्तुर दर्ज रहेगा तहसीलदार प्रतापगढ़ का यह निर्णय भी उचित प्रतीत होता है। जहां तक अपीलान्ट्स श्रीमती मुन्नीबाई व श्रीमति नानीबाई के आराजीयात पर कब्जे का प्रश्न है, पर विधिक कार्यवाही अपनाते हुवे सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करे। वसीयत की गई भूमि के अलावा शेष बची 0.42 हैक्टर कृषि भूमि का नियमानुसार उत्तराधिकारियों के हक मे बराबर–बराबर नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का निर्णय तहसीलदार प्रतापगढ़ का उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ़ के निर्णय दिनांक 26.02.2016 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23/01/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(जगमोहन सिंह)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर